

विनोद कुमार और अन्य आदि

बनाम

भारत संघ और अन्य

(सिविल अपील संख्या 5153-5154/2024)

30 जनवरी 2024

[न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन]

विचारार्थ मुद्दा

न्यायाधिकरण के फैसले द्वारा 'लेखा लिपिक' के पद पर नियमित करने और उसमें समायोजित करने के लिए अपीलकर्ताओं की याचिका को खारिज कर दिया, जिसके सापेक्ष उन्हें अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया था। उच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण के आदेश को बरकरार रखा।

हेडनोट

सेवा कानून-नियमितीकरण-अस्थायी नियुक्ति-अपीलकर्ताओं ने 'लेखा लिपिक' के पद पर नियमित करने और उसमें समायोजित करने के लिए अनुरोध किया, जिसके सापेक्ष उन्हें अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया था:

अभिनिर्धारित किया गया: रोजगार का सार और उसके अधिकार केवल नियुक्ति की प्रारंभिक शर्तों से निर्धारित नहीं किया जा सकता है जब समय के साथ रोजगार की वास्तविक कार्यप्रणाली महत्वपूर्ण रूप से विकसित हुई है- नियमित कर्मचारियों की हैसियत में अपीलार्थियों की निरंतर सेवा, स्थायी पदों में होने वाले कर्तव्यों से अविभेद्य कर्तव्यों का पालन करना और एक ऐसी प्रक्रिया द्वारा उनका चयन जो नियमित भर्ती को प्रतिबिंबित करता है, उनके प्रारंभिक नियोजन की अस्थायी और योजना-विशिष्ट प्रकृति से सारवान विचलन/अलगाव का गठन करता है- इसके अलावा, अपीलार्थियों की पदोन्नति प्रक्रिया का संचालन और देखरेख एक विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा की गई थी और उनकी भूमिका की अस्थायी प्रकृति के बारे में किसी भी संकेत की पुष्टि किए बिना या ऐसे अस्थायी नियुक्ति की अवधि निर्दिष्ट किए बिना 25 वर्ष से अधिक समय तक उनकी निरंतर सेवा, उनके रोजगार की स्थिति पर पुनर्विचार करने योग्य है- अपीलार्थियों की सेवा की शर्तों में, जो समय के साथ विकसित हुई हैं, अस्थायी से नियमित स्थिति में पुनर्वर्गीकरण की आवश्यकता है- उनकी भूमिकाओं की मूल प्रकृति और स्थायी कर्मचारियों के समान उनकी निरंतर सेवा को पहचानने में विफलता समानता, निष्पक्षता

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

के सिद्धांतों और रोजगार विनियमों के आशय के विपरीत है – इस प्रकार, उच्च न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाता है। [प्रस्तर 5, 8, 9]

उद्धृत केस कानून

सचिव, कर्नाटक राज्य बनाम उमादेवी [2006] 3 एससीआर 953: (2006) 4 एससीसी 1– में अन्तर किया गया।

मुख्य शब्दों की सूची

सेवा कानून; नियमितकरण; अस्थायी नियुक्ति; निरंतर सेवा; स्थायी पद; समानता, निष्पक्षता के सिद्धांत; रोजगार नियम; सेवा की शर्तें; पुनर्वर्गीकरण; नियमित प्रास्थिति।

निम्न मामले से उत्पन्न

सिविल अपीलीय अधिकारिता: सिविल अपील संख्या 5153–5154/2024

सीएमडब्लूपी संख्या 42692 एवं 42688/2001 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के दिनांक 30.03.2016 के निर्णय एवं आदेश से

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलार्थियों की ओर से अधिवक्तागण अजयवीर सिंह, सुश्री दिव्या गर्ग, उदय राम बोकाडिया, शुभम तोमर, सुश्री दीपिका जैन, अतित जैन, अजय जैन, सोनल जैन।

प्रत्यर्थियों की ओर से अधिवक्तागण के. परमेश्वरन, श्रीमती साक्षी कक्कड़, संदीप कुमार महापात्रा, श्रीमती स्वरूपमा चतुर्वेदी, अमरीश कुमार।

उच्चतम न्यायालय का निर्णय/आदेश

आदेश

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ,

अनुमति प्रदान की गयी।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

2. ये अपीलें सिविल प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या 42688/2001 और सिविल प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या 4692/2001 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 30.03.2016 के निर्णय से उत्पन्न हुई हैं, जिसके तहत केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, इलाहाबाद पीठ के दिनांक 21.11.2001 के फैसले को चुनौती देने वाली अपीलार्थियों द्वारा दायर रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था। न्यायाधिकरण के फैसले द्वारा 'लेखा लिपिक' के पद पर नियमित करने और उसमें समायोजित करने के लिए अपीलकर्ताओं की याचिका को खारिज कर दिया, जिसके सापेक्ष उन्हें अस्थायी रूप से नियुक्त किया गया था। अस्थायी या योजना आधारित नियुक्ति के बावजूद अपीलकर्ता 1992 से लेकर वर्तमान तक 25 वर्षों से अधिक की अवधि तक लगातार इन पदों पर काम कर रहे हैं।

3. दिनांक 21.02.1991 की एक अधिसूचना के अनुसरण में, अपीलार्थियों को शुरू में लिखित परीक्षा और मौखिक साक्षात्कार की चयन प्रक्रिया के बाद लेखा लिपिकों के एक्स-कैंडर पदों पर नियुक्त किया गया था। 1999 में नियमित करने के उनके अभ्यावेदन को डिवीजनल रेलवे मैनेजर द्वारा अस्वीकार करने के बाद, अपीलकर्ताओं ने मूल आवेदनों के माध्यम से केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया। न्यायाधिकरण ने दिनांक 21.11.2001 के आदेश के माध्यम से अपीलार्थियों के आवेदनों को इस निष्कर्ष के साथ खारिज कर दिया कि उनकी नियुक्तियां अस्थायी और एक विशिष्ट योजना के लिए थीं, इसलिए उन्हें स्थायी पदों में नियमित करने या समायोजित होने का अधिकार नहीं है। इसके बाद, अपीलकर्ताओं ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और उच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरण के आदेश को बरकरार रखा और उनकी रिट याचिकाओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि एक अस्थायी योजना के तहत अपीलकर्ताओं की नियुक्ति उन्हें स्थायी कर्मचारियों के समान अधिकार प्रदान नहीं कर सकती है और **सचिव, कर्नाटक राज्य बनाम उमादेवी 2006 (4) एससीसी 1** में इस अदालत के फैसले पर अवलम्ब लिया, जिसमें कहा गया था कि अस्थायी या आकस्मिक कर्मचारियों को सेवा में समायोजित होने का मौलिक अधिकार नहीं है।

4. अपीलकर्ताओं ने यह तर्क देते हुए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है कि उच्च न्यायालय ने उनके कर्तव्यों की मूल प्रकृति को पहचानने में विफल रहकर अपने फैसले में गलती की है, जो उन्हें मूल रूप से अस्थायी या योजना-आधारित भूमिकाओं के बजाय नियमित नियुक्ति के साथ जोड़ते हैं। इसके अलावा, एक नियमित रूप से गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा उनकी पदोन्नति, चयन प्रक्रिया और एक चौथाई सदी से अधिक समय तक उनकी सेवा की निरंतर प्रकृति ने नियमितीकरण के लिए उनके तर्क पर बल दिया और यह कि उच्च न्यायालय ने **उमा देवी (उपरोक्त)** के मामले के सिद्धांतों को उनकी स्थिति में गलत तरीके से लागू किया है।

5. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, इस न्यायालय का मानना है कि नियोजन का सार और उसके अधिकार केवल नियुक्ति की प्रारंभिक शर्तों से निर्धारित नहीं किए जा सकते हैं, जब समय के साथ नियोजन की वास्तविक कार्यप्रणाली महत्वपूर्ण रूप से विकसित हुई है। नियमित कर्मचारियों की हैसियत में अपीलार्थियों की निरंतर सेवा, स्थायी पदों में होने वाले कर्तव्यों से अविभेद्य कर्तव्यों का पालन करना और एक ऐसी प्रक्रिया द्वारा उनका चयन जो नियमित भर्ती को प्रतिबिंबित करता है, उनके प्रारंभिक नियोजन की अस्थायी और योजना-विशिष्ट

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

प्रकृति से सारवान विचलन/अलगाव का गठन करता है। इसके अलावा, अपीलार्थियों की पदोन्नति प्रक्रिया का संचालन और देखरेख एक विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा की गई थी और उनकी भूमिका की अस्थायी प्रकृति के बारे में किसी भी संकेत की पुष्टि किए बिना या ऐसे अस्थायी नियुक्ति की अवधि निर्दिष्ट किए बिना 25 वर्ष से अधिक समय तक उनकी निरंतर सेवा, उनके रोजगार की स्थिति पर पुनर्विचार करने योग्य है।

6. उच्च न्यायालय द्वारा **उमा देवी (उपरोक्त)** में दिए गए निर्णय को इन विशिष्ट परिस्थितियों को देखते हुए, जो अपीलकर्ताओं को नियुक्त करती थीं और उन्होंने अपनी सेवा जारी रखी है, वर्तमान तथ्यों पर लागू करना पूरी तरह मेल नहीं खाता। प्रारंभ में प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं पर अवलम्ब लेकर, निरंतर सेवा द्वारा काफी लम्बी अवधि से अर्जित मूल अधिकारों को हमेशा के लिए अस्वीकार नहीं किया जा सकता है। उनकी पदोन्नति रिक्तियों के लिए एक विशिष्ट अधिसूचना और एक पश्चातवर्ती परिपत्र पर आधारित थी, जिसके बाद लिखित परीक्षा और साक्षात्कार सहित एक चयन प्रक्रिया थी, जो पिछले दरवाजे से प्रवेश की नियुक्तियों से उनके मामले को अलग करती है, जैसा कि **उमा देवी (उपरोक्त)** के मामले में चर्चा की गई थी।

7. **उमा देवी (उपरोक्त)** मामले के फैसले में कुछ नियुक्तियों पर विचार करने के महत्व को रेखांकित करते हुए "अनियमित" और "अवैध" नियुक्तियों के बीच भी अंतर किया गया, भले ही निर्धारित नियमों और प्रक्रिया के अनुसार सख्ती से नहीं की गई हो, इसे अवैध रूप से किया गया नहीं कहा जा सकता है यदि उन्होंने वर्तमान मामले की तरह लिखित परीक्षाओं या साक्षात्कार करके नियमित नियुक्तियों की प्रक्रियाओं का पालन किया था।

उमा देवी (उपरोक्त) मामले का पैरा 53 यहाँ पुनः प्रस्तुत किया गया है:

“53. एक पहलू को स्पष्ट करने की आवश्यकता है। ऐसे मामले हो सकते हैं जहां अनियमित नियुक्तियां (अवैध नियुक्तियां नहीं) जैसा कि एस वी नारायणप्पा [(1967) 1 एससीआर 128: एआईआर 1967 एससी 1071], आर एन नंजुंदप्पा [(1972) 1 एससीसी 409: (1972) 2 एससीआर 799] और बी एन नागराजन [(1979) 4 एससीसी 507: 1980 एससीसी (एल एंड एस) 4: (1979) 3 एससीआर 937] में स्पष्ट किया गया है और ऊपर पैरा 15 में संदर्भित किया गया है, विधिवत स्वीकृत रिक्त पदों पर योग्य व्यक्तियों की नियुक्तियां की गई हो सकती हैं और कर्मचारियों ने अदालतों या न्यायाधिकरणों के आदेशों के हस्तक्षेप के बिना दस साल या उससे अधिक समय तक काम करना जारी रखा हो। ऐसे कर्मचारियों की सेवाओं के नियमितीकरण के प्रश्न पर उपरोक्त संदर्भित मामलों में और इस निर्णय के आलोक में इस न्यायालय द्वारा तय किए गए सिद्धांतों के आलोक में गुण-दोष के आधार पर विचार किया जा सकता है। उस संदर्भ में, भारत संघ, राज्य सरकारों और उनके अंग को एक बार के उपाय के रूप में ऐसे अनियमित रूप से नियुक्त लोगों की सेवाओं को नियमित करने के लिए कदम उठाने चाहिए, जिन्होंने विधिवत स्वीकृत पदों में दस साल या उससे अधिक समय तक काम किया है, लेकिन न्यायालय या न्यायाधिकरणों के आदेशों की आड़ में नहीं किया हो और आगे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन खाली स्वीकृत पदों को भरने के लिए

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।

नियमित भर्ती की जाए, जिन्हें भरने की आवश्यकता है, ऐसे मामलों में जहां अस्थायी कर्मचारियों या दैनिक वेतनभोगियों को अब नियुक्त किया जा रहा है। इस तिथि से छह महीने के भीतर प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि नियमितीकरण, यदि पहले से ही किया गया है, लेकिन विचाराधीन नहीं है, तो इस निर्णय के आधार पर फिर से खोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन संवैधानिक आवश्यकता को दरकिनार करने और संवैधानिक योजना के अनुसार विचाराधीन नियुक्त नहीं किए गए लोगों को नियमित या स्थायी बनाने की आवश्यकता नहीं है।”

8. ऊपर दर्ज किए गए कारणों के आलोक में, यह न्यायालय अपीलार्थियों के तर्कों में बल पाता है और यह मानता है कि उनकी सेवा की शर्तों में, जो समय के साथ विकसित हुई हैं, अस्थायी से नियमित स्थिति में पुनर्वर्गीकरण की आवश्यकता है। उनकी भूमिकाओं की मूल प्रकृति और स्थायी कर्मचारियों के समान उनकी निरंतर सेवा को पहचानने में विफलता समानता, निष्पक्षता के सिद्धांत और रोजगार नियमों के आशय के विपरीत है।

9. तदनुसार, अपीलों को अनुमति दी जाती है। उच्च न्यायालय के फैसले को अपास्त किया जाता है और अपीलार्थी अपने-अपने पदों पर नियमितीकरण के लिए विचार किए जाने के हकदार हैं। प्रत्यर्थियों को इस निर्णय के प्रकाश की तारीख से 3 महीने के भीतर नियमितीकरण की प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया जाता है।

10. लागत के बारे में कोई आदेश नहीं है।

हेडनोट तैयारकर्ता: अंकित ज्ञान

मामले का परिणाम:

अपीलों को अनुमति दी गई।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।